



Seth R.L.Saharia Govt. P.G. College, Kaladera Government of Rajasthan

Welcome : singhtrenu678@gmail.com

Dashboard | Pre Merit | Merit | Post Merit Action | Post Merit Reset Action | Master Settings | Master Report | Promote Action | Reports | Promote Action Reset | Promote Reports |

Admission Forms Received

Course Wise Number of Applications

Sr.No.	Course	Total Application	Total Seat
1	BA Part I	2914	1400
2	BCom Part I	179	500
3	BSc Part I Biology	1148	352
4	BSc Part I Maths	447	264


General Notifications

- Total No. of Applications Part I 4688
- Total No. of Category Applications Part I 31
- Total No. of Seats Part I 2516
- Total Admitted Part I

[Daily Alerts](#)

Course Wise Number of Category Applications

Sr.No.	Course	Total Application
1	BA Part I	8
2	BCom Part I	4
3	BSc Part I Biology	10
4	BSc Part I Maths	9


 21.06.2022
 प्राचार्य
 सेंट आरएल सहारिया राजकीय पी जी महाविद्यालय
 काताहरा, जयपुर

Nodal Officer:
 Dr. Renu Singh
 Mobile No. (for admission
 information): 9414595136
 Email: singhtrenu678@gmail.com

Seth R.L.Saharia Govt. P.G. College, Kaladera
 R.L.Saharia Govt. College, Kaladera
 Jaipur
 (Rajasthan-India)

Copy Rights
 Disclaimer
 Hyper Linking Policy
 Privacy Policy
 Terms of Use



Seth R.L.Saharia Govt. P.G. College, Kaladera
Government of Rajasthan

Welcome : anantamathur@gmail.com

Logout | Back To SSO

Dashboard | Pre Merit | Pre Merit Reset Action | Post Merit Action | Master Settings | Master Report | Promote Action | Reports | Promote Action Reset | Promote Reports

Admission Forms Received

Course Wise Number of Applications

Sr.No.	Course	Total Application	Total Seat
1	M.A.(Geography)	446	60
2	M.A.(Political Science)	355	60
3	M.Com.(A.B.ST)	38	60
4	M.Com.(Business Administration)	75	60
5	M.Com.(E.A.F.M.)	133	60
6	M.Sc.(Chemistry)	360	50

Course Wise Number of Category Applications

No data found.

General Notifications	
Total No. of Applications In P.G (Previous Year)	1407
Total No. of Seats In P.G (Previous Year)	350
Total Admitted P.G (Previous Year)	
Daily Alerts	

21/01/22
प्रधान
श्री आरएल सहारिया राजकीय पी.जी. महाविद्यालय
कालाडरा, जयपुर

Nodal Officer:
Dr. Ananta Mathur
Mobile No. (for admission
information): 9829662310
Email : rlscollegekaladera@gmail.com

Seth R.L.Saharia Govt. P.G. College, Kaladera
R.L.Saharia Govt. College, Kaladera
Jaipur
Rajasthan-India

Copy Rights
Disclaimer
Hyper Linking Policy
Privacy Policy
Terms of Use

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph.: 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/प्रवेशनीति/2021-22/412/249-53 दिनांक: 19 अगस्त, 2021

:: कार्यालय आदेश ::

समस्त राजकीय महाविद्यालयों में सत्र 2019-20 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) तथा अति पिछड़ा वर्ग (MBC) के अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश में क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था।

अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवीन आरक्षण प्रावधानों के मद्दे नजर सभी संकायों में स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सीटों में 25 प्रतिशत की अभिवृद्धि करते हुए कला एवं वाणिज्य संकाय के प्रत्येक सेक्शन में सीटों की संख्या 100 तथा विज्ञान संकाय में सीटों की संख्या 88 की जाती है। प्रवेश के समय सभी आरक्षित वर्ग के आवेदकों को बड़ी हुई संख्या के आधार पर नियमानुसार आरक्षण दिया जायेगा।

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में सभी संकायों में वर्तमान सत्र 2021-22 में सीट मैट्रिक्स निम्नानुसार रहेगी

संकाय/वर्ग	कुल संख्या	सामान्य	अनु. जाति	अनु. जन जाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अति पिछड़ा वर्ग	EWS
कला/वाणिज्य	100	36	16	12	21	05	10
विज्ञान	88	34	14	10	18	04	08

स्नातक पार्ट प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया में उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित की जावे।

नोट :- यह सीट मैट्रिक्स सांकेतिक है। सीट मैट्रिक्स का निर्धारण महाविद्यालय में संधारित रोस्टर रजिस्टर के अनुसार किया जाए। यह अभिवृद्धि केवल सत्र 2021-22 के लिए मान्य होगी।

(संदेश नयक IAS)
आयुक्त

प्रतिलिपि -

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
4. कुल सचिव, सम्बद्ध विश्वविद्यालय, राजस्थान।
5. समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान।
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय को अपलोड/ई-मेल करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक (अकादमिक)

POCO

SHOT ON POCO F1

2022/1/6 14:25

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2)विभाग

क्रमांक-प. 7(2)कार्मिक/क-2/2019

जयपुर, दिनांक : 29.3.2019

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर) सहित।

परिपत्र

इस विभाग के परिपत्रादेश क्रमांक प. 15(24)कार्मिक/क-2/75 दिनांक 20.11.97 के साथ संलग्न उपाबन्ध-॥ एवं उपाबन्ध-॥३ के अन्तर्गत सीधी भर्ती में अनु. जाति, अनु. जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए क्रमशः 16%, 12% एवं 21% और पदोन्नति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 16% एवं 12% आरक्षण के प्रावधान अनुसार रोस्टर निर्धारित किया गया है। इसके पश्चात परिपत्रादेश दिनांक 20.11.1997 के साथ संलग्न उपाबन्ध-॥ में सीधी भर्ती के लिए 100 बिन्दु रोस्टर निर्धारित किये गये हैं, जिसे इस विभाग के परिपत्रादेश दिनांक 07.08.07 के द्वारा संशोधित किया गया है।

तत्पश्चात राजस्थान अनु.जाति, अनु.जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम 2008 दिनांक 31.07.09 को पारित हुआ जिसे दिनांक 25.8.09 से लागू किया गया। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति को 12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 21 प्रतिशत, विशेष पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण देय था। इसी क्रम में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 18.09.2009 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण (रोस्टर) नियम, 2009 के अन्तर्गत सीधी भर्ती और पदोन्नति हेतु नये रोस्टर बिन्दु निर्धारित किये गये लेकिन डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 12810/09 जी. शर्मा बनाम राज्य सरकार में मान. न्यायालय द्वारा उक्त अधिनियम 2008 को स्थगित करते हुए मान. न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.10.09 एवं 04.11.09 के द्वारा आरक्षण का प्रावधान 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रखे जाने के निर्णय के कारण विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य के अधीन सेवाओं में 1 प्रतिशत आरक्षण के आदेश जारी किये गये जबकि इसके तहत आर्थिक पिछड़ा वर्ग को दिया गया 14 प्रतिशत आरक्षण लागू नहीं हो सका। इस प्रकार अधिसूचना दिनांक 18.09.2009 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिए जारी रोस्टर बिन्दु कभी लागू नहीं हुए।

राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2019 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 13.02.2019 के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को सीधी भर्ती में 5% आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार



अधिसूचना दिनांक 19.02.2019 के द्वारा विविध सेवा नियमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

वर्तमान में राज्य के अधीन सेवाओं में सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए क्रमशः 16%, 12%, 21%, 5% एवं 10% आरक्षण का प्रावधान है। ये सभी आरक्षण लम्बवत (vertical) हैं। इसके अलावा सीधी भर्ती में अन्य प्रवर्गों के आरक्षण जैसे राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के अन्तर्गत भूतपूर्व सैनिकों के लिए राज्य सेवा में 5%, अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवाओं में 12½% एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा में 15% आरक्षण, सभी सेवाओं में महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% आरक्षण जिसमें 8% विधवा एवं 2% परित्यक्ता के लिए है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अधीनस्थ और मंत्रालयिक सेवाओं में 2% आरक्षण, कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 24.02.88 के अनुसार राज्य सेवा के पदों पर सरकार, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए 7% आरक्षण, जो राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 के अन्तर्गत देय है, का प्रावधान है। ये सभी आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 02.01.2019 जारी कर राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अन्तर्गत सीधी भर्ती में विशेष योग्यजनों को 4 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। विशेष योग्यजन के लिए रोस्टर से संबंधित निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा ही जारी किये जाने हैं।

अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 20.11.97, 07.08.07 के साथ संलग्न उपाबन्ध-II/ उपाबन्ध-III का परिशिष्ट यथास्थिति एवं अधिसूचना दिनांक 18.09.09 के साथ संलग्न अनुसूची-I एवं अनुसूची-II में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित रोस्टर के अतिक्रमण में लम्बवत एवं क्षैतिज आरक्षण के रूप में संशोधित रोस्टर निर्धारित कर संलग्न उपाबन्ध-III एवं उपाबन्ध-IV-क अनुसार जारी किया जाता है।

जहां तक पदोन्नति का संबंध है, अधिसूचना दिनांक 18.09.09 के साथ संलग्न अनुसूची-III एवं अनुसूची-IV में विद्यमान आरक्षण रोस्टर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

सभी नियुक्ति प्राधिकारी एवं विभागाध्यक्ष अपने विभाग में उपर्युक्तानुसार (उपाबन्ध-III एवं उपाबन्ध-IV-क के अनुसार) रोस्टर पंजिका संधारित करते हुए सीधी भर्ती एवं पदोन्नति में आरक्षण प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न : उपाबन्ध-II एवं उपाबन्ध-IV-क
(पृ 3 से 8 तक)


(जय सिंह)

उप शासन सचिव

16/2019

राज्य / अधीनस्थ / मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में अ.जा. / अ.ज.जा. / पि.व. / अति.पि.व. / आर्थिक कमजोर वर्ग (लम्बवत) एवं महिला वर्ग / भूतपूर्व सैनिक / खिलाड़ियों / अराजपत्रित कर्मचारियों (क्षितिज) के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण का मॉडल रोस्टर

क्रम संख्या	अनु० जाति 16%	अनु० जनजाति 12%	पिछड़ा वर्ग 21%	अति पिछड़ा वर्ग 5%	आर्थिक कमजोर वर्ग 10%	प्रवर्ग जिसके लिए पद विहित किए जाने चाहिए	महिला वर्ग- 30% (महिला-20% विधवा-8% परित्यक्ता-2%)	भूतपूर्व सैनिक			खिलाड़ियों हेतु 2%	अराजपत्रित कर्मचारी 7%
								राज्य सेवा 5%	अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा 12½%	चतुर्थ श्रेणी सेवा 15%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0.16	0.12	0.21	0.05	0.1	UR-1						
2	0.32	0.24	0.42	0.1	0.2	UR-2						
3	0.48	0.36	0.63	0.15	0.3	UR-3						
4	0.64	0.48	0.84	0.2	0.4	UR-4	W-1					
5	0.8	0.6	1.05	0.25	0.5	BC-1						
6	0.96	0.72	1.26	0.3	0.6	UR-5				Ex-serv-1		
7	1.12	0.84	1.47	0.35	0.7	SC-1			Ex-serv-1			
8	1.28	0.96	1.68	0.4	0.8	UR-6						
9	1.44	1.08	1.89	0.45	0.9	ST-1						
10	1.6	1.2	2.1	0.5	1	BC-2	W-2					
11	1.76	1.32	2.31	0.55	1.1	EWS-1						
12	1.92	1.44	2.52	0.6	1.2	UR-7						
13	2.08	1.56	2.73	0.65	1.3	SC-2	Widow-1					
14	2.24	1.68	2.94	0.7	1.4	UR-8				Ex-serv-2		

678

15	2.4	1.8	3.15	0.75	1.5	BC-3	W-3						NGE-1
16	2.56	1.92	3.36	0.8	1.6	UR-9			Ex-serv.-2				
17	2.72	2.04	3.57	0.85	1.7	ST-2							
18	2.88	2.16	3.78	0.9	1.8	UR-10							
19	3.04	2.28	3.99	0.95	1.9	SC-3							
20	3.2	2.4	4.2	1	2	BC-4	W-4	Ex-serv.-1		Ex-serv.-3			
21	3.36	2.52	4.41	1.05	2.1	MBC-1							
22	3.52	2.64	4.62	1.1	2.2	EWS-2							
23	3.68	2.76	4.83	1.15	2.3	UR-11							
24	3.84	2.88	5.04	1.2	2.4	BC-5			Ex-serv. 3				
25	4	3	5.25	1.25	2.5	ST-3	Widow-2						
26	4.16	3.12	5.46	1.3	2.6	SC-4	W-5						
27	4.32	3.24	5.67	1.35	2.7	UR-12				Ex-serv.-4			
28	4.48	3.36	5.88	1.4	2.8	UR-13							
29	4.64	3.48	6.09	1.45	2.9	BC-6							NGE-2
30	4.8	3.6	6.3	1.5	3	EWS-3	W-6						
31	4.96	3.72	6.51	1.55	3.1	UR-14							
32	5.12	3.84	6.72	1.6	3.2	SC-5			Ex-serv. 4				
33	5.28	3.96	6.93	1.65	3.3	UR-15							
34	5.44	4.08	7.14	1.7	3.4	BC-7				Ex-serv.-5			
35	5.6	4.2	7.35	1.75	3.5	ST-4	W-7						
36	5.76	4.32	7.56	1.8	3.6	UR-16							
37	5.92	4.44	7.77	1.85	3.7	UR-17							
38	6.08	4.56	7.98	1.9	3.8	SC-6	Widow-3						
39	6.24	4.68	8.19	1.95	3.9	BC-8							
40	6.4	4.8	8.4	2	4	MBC-2	W-8	Ex-serv.-2	Ex-serv.-5	Ex-serv.-6			

679

41	6.56	4.92	8.61	2.05	4.1	EWS-4							
42	6.72	5.04	8.82	2.1	4.2	ST-5							
43	6.88	5.16	9.03	2.15	4.3	BC-9							NGE-3
44	7.04	5.28	9.24	2.2	4.4	UR-18							
45	7.2	5.4	9.45	2.25	4.5	SC-7	W-9						
46	7.36	5.52	9.66	2.3	4.6	UR-19							
47	7.52	5.64	9.87	2.35	4.7	UR-20				Ex-serv.-7			
48	7.68	5.76	10.08	2.4	4.8	BC-10			Ex-serv.-6				
49	7.84	5.88	10.29	2.45	4.9	UR-21							
50	8	6	10.5	2.5	5	ST-6	Divorcee-1					Sports Per.-1	
51	8.16	6.12	10.71	2.55	5.1	EWS-5	Widow-4						
52	8.32	6.24	10.92	2.6	5.2	SC-8	W-10						
53	8.48	6.36	11.13	2.65	5.3	BC-11							
54	8.64	6.48	11.34	2.7	5.4	UR-22				Ex-serv.-8			
55	8.8	6.6	11.55	2.75	5.5	UR-23	W-11						
56	8.96	6.72	11.76	2.8	5.6	UR-24			Ex-serv.-7				
57	9.12	6.84	11.97	2.85	5.7	SC-9							
58	9.28	6.96	12.18	2.9	5.8	BC-12							NGE-4
59	9.44	7.08	12.39	2.95	5.9	ST-7							
60	9.6	7.2	12.6	3	6	EWS-6	W-12	Ex-serv.-3		Ex-serv.-9			
61	9.76	7.32	12.81	3.05	6.1	MBC-3							
62	9.92	7.44	13.02	3.1	6.2	BC-13							
63	10.08	7.56	13.23	3.15	6.3	SC-10	Widow-5						
64	10.24	7.68	13.44	3.2	6.4	UR-25			Ex-serv.-8				
65	10.4	7.8	13.65	3.25	6.5	UR-26	W-13						
66	10.56	7.92	13.86	3.3	6.6	UR-27							

68

67	10.72	8.04	14.07	3.35	6.7	BC-14			Ex-serv.-10		
68	10.88	8.16	14.28	3.4	6.8	ST-8					
69	11.04	8.28	14.49	3.45	6.9	SC-11					
70	11.2	8.4	14.7	3.5	7	EWS-7	W-14				
71	11.36	8.52	14.91	3.55	7.1	UR-28					
72	11.52	8.64	15.12	3.6	7.2	BC-15			Ex-serv.-9		NGE-5
73	11.68	8.76	15.33	3.65	7.3	UR-29					
74	11.84	8.88	15.54	3.7	7.4	UR-30			Ex-serv.-11		
75	12	9	15.75	3.75	7.5	ST-9	widow-6				
76	12.16	9.12	15.96	3.8	7.6	SC-12	W-15				
77	12.32	9.24	16.17	3.85	7.7	BC-16					
78	12.48	9.36	16.38	3.9	7.8	UR-31					
79	12.64	9.48	16.59	3.95	7.9	EWS-8					
80	12.8	9.6	16.8	4	8	MBC-4	W-16	Ex-serv.-4	Ex-serv.-10	Ex-serv.-12	
81	12.96	9.72	17.01	4.05	8.1	BC-17					
82	13.12	9.84	17.22	4.1	8.2	SC-13					
83	13.28	9.96	17.43	4.15	8.3	UR-32					
84	13.44	10.08	17.64	4.2	8.4	ST-10					
85	13.6	10.2	17.85	4.25	8.5	UR-33	W-17				
86	13.76	10.32	18.06	4.3	8.6	BC-18					NGE-6
87	13.92	10.44	18.27	4.35	8.7	UR-34					
88	14.08	10.56	18.48	4.4	8.8	SC-14	Widow-7		Ex-serv.-11	Ex-serv.-13	
89	14.24	10.68	18.69	4.45	8.9	UR-35					
90	14.4	10.8	18.9	4.5	9	EWS-9	W-18				
91	14.56	10.92	19.11	4.55	9.1	BC-19					
92	14.72	11.04	19.32	4.6	9.2	ST-11					

679

93	14.88	11.16	19.53	4.65	9.3	UR-36			Ex-serv.-14	
94	15.04	11.28	19.74	4.7	9.4	SC-15			Ex-serv.-14	
95	15.2	11.4	19.95	4.75	9.5	BC-20	W-19			
96	15.36	11.52	20.16	4.8	9.6	MBC-5		Ex-serv.-12		
97	15.52	11.64	20.37	4.85	9.7	ST-12				
98	15.68	11.76	20.58	4.9	9.8	EWS-10	Widow-8			
99	15.84	11.88	20.79	4.95	9.9	SC-16	W-20			
100	16	12	21	5	10	BC-21	Divorcee-2	Ex-serv.-5	Ex-serv.-15	Sports Per-2
										NGE-7

नोट- इसी संदर्भ में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि क्षैतिज आरक्षण बिन्दुओं में ऐसे भी बिन्दु हैं जो अनुजाति, अनु जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक कमजोर वर्ग हेतु निर्धारित बिन्दुओं से टकराते हैं परन्तु इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। क्योंकि रोस्टर बिन्दु तम्बवत हो या क्षैतिज प्रवर्ग विशेष के लिये पात्रता/गिनती सुनिश्चित करने के लिये तय किये गये हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि बिन्दु सं-20 पिछड़ा वर्ग के लिये निर्धारित है इसी बिन्दु पर महिला एवं भूतपूर्व सैनिक भी आते हैं जो क्षैतिज हैं परन्तु यह आवश्यक नहीं कि महिला वर्ग/भूतपूर्व सैनिक को 20वां बिन्दु दिया जावे और वह भूतपूर्व सैनिक भी हो। अतः तात्पर्य यह है कि 20 पदों में 04 महिलाओं के पद बनते हैं और राज्य सेवा में एक और चतुर्थ श्रेणी सेवा में 3 पद भूतपूर्व सैनिक के बनते हैं। ये चार महिलाएँ किसी भी वर्ग की हो सकती हैं और भूतपूर्व सैनिक भी किसी भी वर्ग का हो सकता है। ये जिस किसी भी वर्ग के (सामान्य/अजा/अजजा/पि.व./अति पि.व./आर्थिक कमजोर वर्ग) अग्रणी उपलब्ध होंगे उनमें इनको समायोजित कर दिया जावेगा।

09

8 पदों तक की संवर्ग संख्या के लिए सीधी भर्ती में आरक्षण का मॉडल रोस्टर

संवर्ग संख्या	प्रारम्भिक भर्ती	प्रतिस्थापन संख्या							
		एक	दो	तीन	चार	पांच	छः	सात	आठ
1	UR	UR	UR	UR	BC	UR	SC	UR	ST
2	UR	UR	UR	BC	UR	SC	UR	ST	
3	UR	UR	BC	UR	SC	UR	ST		
4	UR	BC	UR	SC	UR	ST			
5	BC	UR	SC	UR	ST				
6	UR	SC	UR	ST					
7	SC	UR	ST						
8	UR	ST							

टिप्पण-1. 2 से 8 पदों के संवर्गों के लिए रोस्टर, स्तंभ संवर्ग संख्या के अधीन प्रविष्टि 1 से अन्तिम पद तक पढ़ा जाना है और फिर क्षैतिज पंक्ति में अर्थात् "L" की तरह अन्तिम प्रविष्टि तक क्षैतिजीय रूप में।

- आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) एवं अति पिछड़ा वर्ग (MBC) प्रवर्ग क्रमशः बिन्दु संख्या 11 एवं 21 (संवर्ग में पदों की संख्या + क्षैतिज प्रतिस्थापन पंक्ति में प्रतिस्थापन बिन्दु) पर प्रतिस्थापन करेगा।
- संवर्ग के समस्त पद स्तंभ प्रारम्भिक भर्ती के अधीन दर्शाये गये प्रवर्गों के लिए चिन्हित किए जाने हैं जबकि प्रारम्भिक रूप में पद, चिन्हित प्रवर्गों से भरे जाने होंगे, फिर भी उपर्युक्त टिप्पण संख्या 02 में दर्शाये गये प्रतिस्थापन बिन्दु संख्या 11 एवं 21 जो कि क्रमशः आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) एवं अति पिछड़ा वर्ग (MBC) संवर्ग के लिए चिन्हित होंगे, के अलावा संवर्ग में किसी भी पद के प्रति प्रतिस्थापन चक्रानुक्रम में होगा जैसा कि संवर्ग के अन्तिम पद के सामने क्षैतिजीय रूप दर्शाया गया है।

टिप्पण- चिन्हित प्रवर्ग जो अनुसूची में दर्शाया है निम्न प्रकार है-

1	UR	Unreserved (अनारक्षित)
2	SC	Scheduled Castes (अनुसूचित जाति)
3	ST	Scheduled Tribes (अनुसूचित जनजाति)
4	BC	Backward Classes (पिछड़ा वर्ग)
5	MBC	More Backward Classes (अति पिछड़ा वर्ग)
6	EWS	Economically Weaker Sections (आर्थिक कमजोर वर्ग)

09

Seth RL Saharia. Govt. PG College Kaladera

VERTICAL RESERVATION ROSTER for P.G. Courses

राज्य सरकार के निर्देशानुसार इस महाविद्यालय में संचालित स्नातकोत्तर कक्षाओं में सीट मेट्रिक्स का निर्धारण 2020 की सीट मेट्रिक्स को ध्यान में रखकर राज्य सरकार के रोस्टर अनुसार वर्ष 2020 से 2025 तक बनाया गया है।

MA GEOGRAPHY (Pre)

CATEGORY	SC	ST	BC	MBC	EWS	UR	TOTAL
SESSION							
2020-21	10	7	12	3	6	22	60
2021-22	9	7	13	2	5	24	60
2022-23	9	7	12	4	7	21	60
2023-24	10	7	13	3	5	22	60
2024-25	10	8	13	3	7	19	60
TOTAL	48	36	63	15	30	108	300

VERTICAL RESERVATION ROSTER

MA Pol. Sc. (Pre)

CATEGORY	SC	ST	BC	MBC	EWS	UR	TOTAL
SESSION							
2020-21	10	7	12	3	6	22	60
2021-22	9	7	13	2	5	24	60
2022-23	9	7	12	4	7	21	60
2023-24	10	7	13	3	5	22	60
2024-25	10	8	13	3	7	19	60
TOTAL	48	36	63	15	30	108	300

VERTICAL RESERVATION ROSTER

M Sc. Chemistry (Pre)

CATEGORY	SC	ST	BC	MBC	EWS	UR	TOTAL
SESSION							
2020-21	8	6	11	2	5	18	50
2021-22	8	6	10	3	5	18	50
2022-23	8	6	11	2	5	18	50
2023-24	8	6	10	3	5	18	50
2024-25	8	6	11	2	5	18	50
TOTAL	40	30	53	12	25	90	250

VERTICAL RESERVATION ROSTER

M Com ABST (Pre)

CATEGORY	SC	ST	BC	MBC	EWS	UR	TOTAL
SESSION							
2020-21	10	7	12	3	6	22	60
2021-22	9	7	13	2	5	24	60
2022-23	9	7	12	4	7	21	60
2023-24	10	7	13	3	5	22	60
2024-25	10	8	13	3	7	19	60
TOTAL	48	36	63	15	30	108	300

(Signature)
प्राचार्य

सेठ आर एल सहारिया राजकीय पी.जी. महाविद्यालय
कालाडेरा, जयपुर

